

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- रानी की सराय

अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 11.05.2024 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त मोहिम पुत्र दिलशेर अहमद ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को एक तमंचा 303 बोर एक जिन्दा कारतूस 303 बोर के साथ ग्राम कोटिला से समय 10.05 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 125/2024 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त – मोहिम पुत्र दिलशेर ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- एक नाजायज तमन्चा 303 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 303 बोर

पंजीकृत अभियोग- 1- मु0अ0सं0 125/2024 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 52/2021 धारा 379/504/506 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 79/2016 धारा 147/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)x अनुसूचित जाति जनजाति नि0 अधि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- व0उ0नि0 गोपाल जी , कां0 सज्जन कुमार व कां0 अभिषेक मिश्रा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

थाना-रौनापार

किशोरी के साथ छेड़खानी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

वादी मुकदमा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 08.05.2024 को समय 13.30 बजे वादी की पुत्री विद्यालय से घर आते समय रास्ते मे आरोपी द्वारा जबरदस्ती रोककर छेड़खानी व अश्लील हरकतें की गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 186/2024 धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम चन्द्रेश मौर्य S/O कैलाश मौर्य ग्राम सेठाकोली पो0 बैजाबारी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

म0उ0नि0 पूनम विश्वकर्मा मय हमराह द्वारा आज दिनांक 11.05.24 को चाँदपट्टी बाजार से समय करीब 08.30 बजे वांछित अभियुक्त चन्द्रेश मौर्य S/O कैलाश मौर्य ग्राम सेठाकोली पो0 बैजाबारी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को धारा 354भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 186/2024 धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- चन्द्रेश मौर्य पुत्र कैलाश मौर्य ग्राम सेठाकोली पो0 बैजाबारी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. म0उ0नि0 पूनम विश्वकर्मा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

2. का0 अखिलेश पाण्डेय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना रौनापार

अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 11.05.2024 को उ0नि0 मधुसूदन मिश्रा मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान बेलहिया ढाला के पास से समय करीब 09.20 बजे एक नफर अभियुक्त करन यादव उर्फ प्रिंस पुत्र पारस यादव सा0 अराजी अजगरा मगर्वी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को एक देशी एक देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 189/24 धारा 9/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- करन यादव उर्फ प्रिंस पुत्र पारस यादव सा0 अराजी अजगरा मगर्वी थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी- एक देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 189/24 धारा 9/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 70/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 98/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 189/24 धारा 9/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मधुसूदन मिश्रा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0 राजन कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 08.05.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक- 07.05.2024 को समय करीब 01.30 बजे रात्रि में आरोपी आदर्श राय पुत्र हरेन्द्र राय हाल पता ग्राम मेहमौनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के घर में घुसकर वादिनी के साथ छेड़खानी किया तथा हल्ला गुहार करने पर जान से मार देने की धमकी देते हुये भाग गया के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 148/24 धारा 354,323,504,506,452 भा.द.वि. व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 11.05.2024 को उ0 नि0 वंशराज सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आदर्श राय पुत्र हरेन्द्र राय निवासी ग्राम जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ हाल पता मेहमौनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को उसके ननिहाल ग्राम मेहमौनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ से नियमानुसार समय प्रातः करीब- 07.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 148/24 धारा 354,323,504,506,452 भा.द.वि. व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. आदर्श राय पुत्र हरेन्द्र राय निवासी ग्राम जोकहरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ हाल पता मेहमौनी थाना कप्तानगंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 वंशराज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
2. का0 अखिलेश कुमार यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

थाना तरवां

इण्डस कम्पनी के टावर से अजना मशीन चोरी करने वाले रिगर सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, रिगर ही करते है अजना मशीन की चोरी, 03 पीस अजना मशीन (कीमत लगभग 3.5 लाख रुपये) बरामद ।

पूर्व का विवरण-

इण्डस कम्पनी का टावर जो उचहुआ बाजार थाना तरवां जनपद आजमगढ़ में लगा है जिसमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दिनांक-02/03.05.2024 की रात्रि में एयरटेल AZNA 03 पीस NOKIA (S) K9193219445, NOKIA (S) K9193219427, NOKIA (S) K9204100207 अजना मशीन खोलकर चुरा ले गये । निशा सिक्कीरीटी के सुपररवाईजर के पद पर टावर में काम करने वाले राकेश पुत्र रामा यादव सा0 अतरौलिया थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक-04.05.2024 को मु0अ0सं0-137/2024 धारा-379 भादवि बनाम संदेही अमित सिंह मो0 87448XXXX 2. देवन्त दूवे मो0 86360XXXX निवासीगण अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 रमेशचन्द्र यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 11.05.2024 को उ0नि0 रमेश चन्द्र यादव मय हमराह को सूचना मिली महमुगंज तिराहा के पास दो व्यक्ति प्लास्टिक की बोरी मे टावर का इलेक्ट्रानिक सामान अपने पास लिए दिखाई दिये है जो सभी सामान चोरी के है इस सूचना पर SST टीम पर लगे वरिष्ठ उप निरिक्षक जितेन्द्र कुमार सिंह व उनके हमराह को साथ लेकर महमुगंज तिराहे के पास से दो व्यक्ति 1.सूरज राज पुत्र जमुना राजभर नि0ग्रा0 उचहुँवा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष 2. दुर्गेश राजभर उर्फ किशन पुत्र बब्लू राजभर उम्र 21 वर्ष नि0ग्रा0 उचहुँवा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को समय-4.45 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से चोरी किये गये टावर से 2 अजना बरामद किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर प्रकाश में आये तीसरा अभियुक्त संजय राजभर पुत्र जयप्रकाश नि0 ग्राम उचहुँवा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ जो घर से फरार हो गया उसके घर से टावर का एक अजना बरामद किया गया। सूरज राजभर व संजय राजभर उपरोक्त दोनो टावर में रिगर के पद पर काम करते है और टावर का महंगा सामान निकालने मे माहिर है ।

पूछताछ का विवरण -

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि अभियुक्त सूरज राजभर व संजय राजभर उपरोक्त दोनों टावर में रिगर के पद पर काम करते है और टावर का महंगा सामान निकालने में माहिर है । अजना मशीन जो टावर पर लगायी जाती है, जिससे 4जी व 5जी नेटवर्क संचालित होता है, उसे कम्पनी के द्वारा नियुक्त किये गये रिगर के द्वारा ही लगाया व उतारा जाता है। इन्ही लोगों के द्वारा कम्पनी के टावरों पर लगे अजना को चोरी किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त सूरज ने बताया कि दिनांक-2/3.05.2024 की रात्रि उचहुआ टावर से दुर्गेश राजभर उर्फ किशन व संजय राजभर हम तीनों लोग मिलकर टावर में लगे 03 अजना मशीन चुरा लिये अजना की कीमत हिमांचल प्रदेश में लगभग 3.5 लाख रुपया है जिसको हम लोग बेचने के लिये जा रहे थे और अपने साथी संजय राजभर का इन्तजार कर रहे थे तभी पुलिस द्वारा हम पकड़ लिया गया । तब हम दोनो लोग पुलिस के साथ संजय के घर आये और संजय के हिस्से में मिला तीसरा अजना जो कि संजय अपनी भुसौल में छुपाकर रखा था उसको भी बरामद कराये संजय मौके का फायदा उठाकर छत से कूद कर कही भाग गया। शीघ्र ही शेष रिगर/अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जायेगी।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 137/2024 धारा- 379,411 भादवि थाना तरवां आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सूरज राज पुत्र जमुना राजभर नि0ग्रा0 उचहुँवा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष
 2. दुर्गेश राजभर उर्फ किशन पुत्र बब्लू राजभर उम्र 21 वर्ष नि0ग्रा0 उचहुँवा थाना तरवा जनपद आजमगढ़
- बरामदगी -**

1- एयरटेल AZNA 03 पीस मशीन SR.NO -- NOKIA (S) K9193219445, NOKIA (S) K9193219427, NOKIA (S) K9204100207 (कीमत लगभग 3.5 लाख रुपये)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

व0उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़
उ0नि0 रमेश चन्द्र यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़
का0 अविनाश यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़
का0 सुमित सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़